भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1343
उत्तर देने की तिथि : 25.11.2019

शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र

1343. श्री कार्ती पी॰ चिदम्बरमः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शिकायतों हेतु किन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र कार्यशील है;
(ख) राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने मामले सुलझाए गए हैं;
(ग) शिकायतों के समाधन हेतु राज्य-वार औसतन कितना समय लिया गया है;
(घ) गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धरा 12.1सी के अंतर्गत मुद्दे-वार
कितनी शिकायतें पंजीकृत की गई हैं और प्रत्येक मामले में राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है; और
(ङ) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) की भूमिका क्या है जहां शिकायत निवारण प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ) : शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और देश में अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अंतर्गत आते हैं। राज्य और संघ राज्यक्षेत्र आरटीई अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों के निवारण हेतु विभिन्न पद्धतियों जैसे ऑन-लाइन तंत्र, टॉल फ्री नम्बर अथवा ऑफलाइन तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। केन्द्रीय स्तर पर शिकायतों के राज्य-वार आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

(ड.) : आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में बच्चों और अभिभावकों की शिकायतों के निवारण और निगरानी हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एनसीपीसीआर और राज्य स्तर पर एससीपीसीआर की भूमिका की परिकल्पना की गई है। आरटीई अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

(1) बाल अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग या धारा 17 के तहत गठित राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, जैसा भी मामला हो, अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखत कार्य भी करेगा, नामत
:
क) इस अधिनियम के द्वारा या तहत प्रदान किए गए अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की अनुशंसा;
ख) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच; और
ग) उक्त बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम की धारा 15 और 24 के तहत यथा उपबाधित आवश्यक उपाय करना।

(2) उक्त आयोग, उप-धारा (1) के खंड (ग) के तहत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा से संबंधित किसी मामले की जांच करते हुए, आयोग के पास वहीं शक्तियां होगी जोकि उक्त बाल्य अधिकार सुरक्षा आयोग की धारा क्रमश: 14 और 24 में उन्हें प्रदान की गई है।

(3) जहां राज्य में राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन नहीं किया गया है, समुचित सरकार, उप-धारा (1) के खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, ऐसी रीति तथा निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, जिसे निर्दिष्ट किया जाए, ऐसे प्राधिकरण का गठन करेगा।

*****